न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— मुन्नीराम बागड़िया
आर0 ए0 एस0

निगरानी संख्या :— 05 / 2013

ताराचन्द पुत्र नारूराम जाति मेघवाल निवासी नुआं ग्राम पंचायत नुआं, तहसील झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।

—निगरानीकारगण

बनाम

1.ग्राम पंचायत, नुआं जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नुआं, पंचायत समिति झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं।
2.पितराम आयु 60 वर्ष पुत्र मघराम जाति मेघवाल निवासी नुआं तहसील व जिला झुंझुनू।

— गैर निगरानीकारगण

निगरानी अ0धा0 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध ग्राम पंचायत प्रस्ताव संख्या—1
दिनांक 20.09.2013 ग्राम पंचायत नुआं

उपस्थिति :—
1. श्री रणजीत सिंह, एडवोकेट — निगरानीकारगण की ओर से।
2. श्री विजयपाल, एडवोकेट — गैर निगरानीकार नं02 की ओर से।

—निर्णय—

दिनांक :— 16.05.2018

उक्त उनवानी निगरानी ग्राम पंचायत नुआ के प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.09.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि :— निगरानीकार ताराचन्द ने एक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत नुआं में मय नजरी नक्शा पेश कर अपनी पुरानी आबादी की गुवाड़ी का पट्टा लेने का आवेदन पत्र पेश किया था। प्रार्थी निगरानीकार व निगरानीकार निगरानीकार व निगारानीकार के भाईया ने ग्राम पंचायत नुआं में एक आवेदन पेश कर पुरानी कब्जे शुदा गुवाड़ी का पटटा चाहा व उक्त आवेदन पर ग्राम पंचायत नुआ ने आवेदन पत्र स्वीकार कर पंचों की मौका रिपोर्ट मंगवाई व सार्वजनिक आपति नोटिस जारी किये व ढूडी पीटकर सार्वजनिक एतराज मांगे। परन्तु किसी भी पक्षकारान द्वारा एतराज ना करने पर ग्राम पंचायत नुआं ने निगरानीकार व निगरानीकार के भाईयों के नाम से पटटा जारी कर दिया व अपने कार्यवाही ग्राम पंचायत में

प्रमाणित प्रतिलिपि

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

दिनांक 5.08.2010 प्रस्ताव संख्या 09 में पटटा जारी करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया व प्रस्ताव की पालना में पट्टा जारी कर दिया। पटटा जारी होने के बाद प्रार्थी निगरानीकार व भाईयों ने अपने पुराने मकानों की जगह पर नए पुख्ता मकान बनाए व मकानों का कार्य अन्तिम चरण में था, मुख्य दरवाजा लगाना था तो विपक्षी नंबर–2 ने अन्य व्यक्तियों से मिलकर के निगरानीकार की गुवाड़ी के मुख्य दरवाजे के आगे चार दीवार बनाकर रास्ता बंद कर दिया जिस पर निगरानीकार ने विपक्षी व अन्य के खिलाफ न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क०ख०) झुंझुनू की अदालत में दावा पेश किया। उक्त दावे में न्यायालय ने विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी कर उक्त दीवार को हटाने के आदेश पारित किया। उक्त आदेश पारित होने के बाद ग्राम पंचायत नुआं से मिलकर के निगरानीकार के पट्टे में दर्ज उत्तर में रास्ता होना नहीं माना जिस पर निगरानीकार ने न्यायालय हाजा में निगरानी पेश की जिस पर हाजा न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2012 में उक्त प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 21.8.2012 को निरस्त कर दिया व ग्राम पंचायत को प्रकरण पुनः दर्ज कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिनुकूल तरीके से निर्णय पारित करें, लेकिन ग्राम पंचायत नुआ ने अदालत हाजा के आदेश की पालना न कर मनमाने रूप से अपने प्रस्ताव संख्या–1 दिनांक 20.09.2013 को आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत नुआं ने हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2012 की पालना में सभी पक्षकारान को बिना नोटिस दिये एक तरफा प्रस्ताव पारित किया है जो विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत नुआं ने निगरानीकार के हक में पट्टे जारी करते समय आपतियां मांगी थी परन्तु उक्त समय किसी ने भी आपति पेश नहीं की व अब एक तरफ से आपति पेश हुई है जो कि कानूनन गलत है। जब ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर उत्तर में रास्ता माना है तो अब बिना मौका मुआयना किए व बिना किसी साक्ष्य या दस्तावेजात के उत्तर में रास्ता ना मानने में गलती कानूनी की है। ग्राम पंचायत ने इस तरफ भी कोई गौर नहीं किया कि जब सिविल न्यायालय ने अपने आदेश में रास्ता माना है तो उक्त निर्णय के खिलाफ आदेश पारित करने में ग्राम पंचायत ने गलती कानूनी की है। ग्राम पंचायत ने इस तरफ गोर नहीं किया कि दक्षिण की तरफ एक गली है जो तीन या चार फुट चौड़ी है, उक्त गली में से कैसे आवागमन होता है। इर तरफ ग्राम पंचायत ने गौर ना कर मनमाने रूप से प्रस्ताव पारित किया है। सरपंच व ग्राम सेवक ने बाला–बाला सारी कहानी मनगड़ण्त बनाकर के साजसी कार्यवाही की है। ग्राम पंचायत की मीटिंग में इस प्रस्ताव बाबत पंचों को नहीं बताया गया मनमाने रूप से बाद साजसी कार्यवाही दर्ज की गई है जो कि सारहीन होने से

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर

अति. जिला ... झुंझुनूं

निरस्त होने योग्य है। पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के सामने यह मामला लाना चाहिए था परन्तु इस तरफ गौर ना कर सरपंच ने मनमाने रूप से कार्यवाही की है । पंचायत अधिनियम की धारा 48 (5) के तहत ग्राम पंचायत अपने किसी प्रस्ताव पारित होने के 6 माह के अन्दर ही दो तिहाई बहुमत से ही बदल सकती है। ग्राम पंचायत का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव दिनांक 5.8.2010 का है। जिसको 2/3 बहुमत से ही बदल सकती थी इसके बाद भी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या 20.9.2013 विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत नुआ राज0 पंचायत राज नियम 1996 के नियम 41 की पालना में पंचायत की कार्यसूची का विवरण नहीं दिया। बिना कार्यवाही सूची के ग्राम पंचायत नुआ की बैठक अवैध होने से उसके पारित आदेश दिनांक 20.9.2013 अवैध होने से खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत ने उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व अपने रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया। पंचायत सामानय नियम 1996 के नियम 136 से 149 तक प्रावधान दिये गये है। पंचायत के पास सार्वजनिक सम्पति का रजिस्टर भी नियम 137 व नियम 139, 148, 156, 157 के बाबत गौर ना कर मनमाने रूप से प्रस्ताव पारित किया है जो कि खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव दिनांक 29.9.2013 में विपक्षी नंबर 2 द्वारा पेश शपथपत्रों को आधार मानकर के प्रस्ताव पारित किया हैं, जबकि उक्त सभी शपथपत्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख) झुंझुनू की अदालत में पेश किए गये थे जिनका अवलोकन कर न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) झुंझुनू ने निगरानीकार के पक्ष में निर्णय पारित किया था। इस निर्णय पर ग्राम पंचायत ने कोई गौर नहीं कर मनमाने रूप से प्रस्ताव पारित कर गलती कानूनी की है।

निगरानीकार ने आगे कथन किया कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस दिया था जिसमें निगरानीकार ने सरपंच ग्राम पंचायत को एक आवेदन पत्र दिनांक 5.9.2013 को पेश किया था जिसमें यह निवेदन किया था कि आपके नोटिस कमांक 15–16 दिनांक 20.7.2013 में पूरी बाते दर्ज नहीं हैं, इसलिए आपके नोटिस का जवाब देने के लिए नकले दिलवाने का कष्ट करें। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नोटिस का जवाब आज तक नहीं दिया गया और नकले नहीं दी गई। सरपंच व ग्राम सेवक ने प्रार्थी के मामले को पंचायत की मीटिंग में विचारार्थ नहीं रखा व बिना पचों की राय के मनमाने रूप से कार्यवाही में दर्ज किया है जो कि न्याय के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कीजाकर के ग्राम पंचायत नुआं का प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.9.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – निगरानीकार व निगारानीकार के भाईया ने ग्राम पंचायत नुआं में एक आवेदन पेश कर पुरानी कब्जे शुदा गुवाड़ी का पटटा चाहा व उक्त आवेदन पर ग्राम पंचायत नुआ ने आवेदन पत्र स्वीकार कर पंचों की मौका रिपोर्ट मंगवाई व सार्वजनिक आपति नोटिस जारी किये व डूडी पीटकर व सार्वजनिक स्थान पर व जमीन पर नोटिस चस्पा कर एतराज मांगे। परन्तु किसी भी पक्षकारान द्वारा एतराज नहीं किया तो ग्राम पंचायत नुआं ने निगरानीकार व निगरानीकार के भाईयों के नाम से पटटा जारी कर दिया व अपने कार्यवाही ग्राम पंचायत में दिनांक 5.08.2010 प्रस्ताव संख्या 09 में पटटा जारी करने का प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया व प्रस्ताव की पालना में पट्टा जारी कर दिया। पटटा जारी होने के बाद प्रार्थी निगरानीकार व भाईयों ने अपने पुराने मकानों की जगह पर नए पुख्ता मकान बनाए व मकानों का कार्य अन्तिम चरण में था व मुख्य दरवाजा लगाना था तो विपक्षी नंबर 2 ने अन्य व्यक्तियों से मिलकर के निगरानीकार की गुवाड़ी के मुख्य दरवाजे के आगे चार दिवार बनाकर रास्ता बंद कर दिया जिस पर निगरानीकार ने विपक्षी व अन्य के खिलाफ न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) झुंझुनू की अदालत में दावा पेश किया। उक्त दावे में न्यायालय ने विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश जारी कर उक्त दीवार को हटाने के आदेश पारित किया। उक्त आदेश पारित होने केबाद ग्राम पंचायत नुआं से मिलकर के निगरानीकार के पट्टे में दर्ज उत्तर में रास्ता होना नहीं माना जिस पर निगरानीकार ने न्यायालय हाजा में निगरानी पेश की जिस पर हाजा न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.11.2012 में उक्त प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 21.8.2012 को निरस्त कर दिया व ग्राम पंचायत को प्रकरण पुनः दर्ज कर सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधिनुकूल तरीके से निर्णय पारितकरें, लेकिन ग्राम पंचायत नुआ ने अदालत हाजा के आदेश की पालना न कर मनमाने रूप से अपने प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.09.2013 को आदेश पारित कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी पेश की है। ग्राम पंचायत नुआं ने हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2012 की पालना में सभी पक्षकारान को बिना नोटिस दिये एक तरफा प्रस्ताव पारित किया है जो विरूद्ध कानून व पत्रावली होनेसे निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत नुआं ने निगरानीकार के हक

प्रमाणित प्रतिलिपि

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

में पट्टे जारी करते समय आपतियां मांगी थी परन्तु उक्त समय किसी ने भी आपति पेश नहीं की व अब एक तरफ से आपति पेश हुई है जो कि कानूनन गलत है। जब ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर उत्तर में रास्ता माना है तो अब बिना मौका मुआयना किए व बिना किसी साक्ष्य या दस्तावेजात के उत्तर में रास्ता ना मानने में गलती कानूनी की है। ग्राम पंचायत ने इस तरफ भी कोई गौर नहीं किया कि जब सिविल न्यायालय ने अपने आदेश में रास्ता माना है तो उक्त निर्णय के खिलाफ आदेश पारित करने में ग्राम पंचायत ने गलती कानूनी की है। ग्राम पंचायत ने इस तरफ गोर नहीं किया कि दक्षिण की तरफ एक गली है जो तीन या चार फुट चौड़ी है, उक्त गली में से कैसे आवागमन होता है। इर तरफ ग्राम पंचायत ने गौर ना कर मनमाने रूप से प्रस्ताव पारित किया है। सरपंच व ग्राम सेवक ने बाला–बाला सारी कहानी मनगडण्त बनाकर के साजसी कार्यवाही की है। ग्राम पंचायत की मीटिंग में इस प्रस्ताव बाबत पंचों को नहीं बताया गया मनमानने रूप से बाद साजसी कार्यवाही दर्ज की गई है जो कि सारहीन होने से निरस्त होने योग्य है। पंचायत अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के सामने यह मामला लाना चाहिए था परन्तु इस तरफ गौर ना कर सरपंच ने मनमाने रूप से कार्यवाही की है । पंचायत अधिनियम की धारा 48 (5) के तहत ग्राम पंचायत अपने किसी प्रस्ताव पारित होने के 6 माह के अन्दर ही दो तिहाई बहुमत से ही बदल सकती है। ग्राम पंचायत का पट्टा जारी करने का प्रस्ताव दिनांक 5.8.2010 का है जिसको 2/3 बहुमत से ही बदल सकती थी, इसके बाद भी ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या 20.9.2013 विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत नुआ राज0पंचायत राज नियम 1996 के नियम 41 की पालना में पंचायत की कार्यसूची का विवरण नहीं दिया। बिना कार्यवाही सूची के ग्राम पंचायत नुआ की बैठक अवैध होने से उसके पारित आदेश दिनांक 20.9.2013 अवैध होने से खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत ने उक्त प्रस्ताव पारित करने से पूर्व अपने रिकार्ड का अवलोकन नहीं किया। पंचायत सामानय नियम 1996 के नियम 136 से 149 तक प्रावधान दिये गये है। पंचायत के पास सार्वजनिक सम्पति का रजिस्टर भी नियम 137 व नियम 139, 148, 156, 157 के बाबत गौर ना कर मनमाने रूप से प्रस्ताव पारित किया है जो कि खारिज होने योग्य है। ग्राम पंचायत ने अपने प्रस्ताव दिनांक 29.9.2013 में विपक्षी नंबर 2 द्वारा पेश शपथपत्रों को आधार मानकर के प्रस्ताव पारित किया है जबकि उक्त सभी शपथपत्र न्यायालय सिविल न्यायाधीश क0ख झुंझुनू की अदालत में पेश किए गये थे जिनका अवलोकन कर न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) झुंझुनू ने निगरानीकार के पक्ष में निर्णय पारित किया था। इस निर्णय पर ग्राम पंचायतने कोई गौर नहीं कर मनमाने रूप से प्रस्ताव

प्रमाणित प्रतिलिपि

पारित कर गलती कानूनी की है। प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा नोटिस दिया था जिसमें निगरानीकार ने सरपंच ग्राम पंचायत को एक आवेदन पत्र दिनांक 5.9.2013 को पेश किया था जिसमें यह निवेदन किया था कि आपके नोटिस कमांक 15–16 दिनांक 20.7.2013 में पूरी बाते दर्ज नहीं हैं, इसलिए आपके नोटिस का जवाब देने के लिए नकले दिलवाने का कष्ट करें। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नोटिस का जवाब आज तक नहीं दिया गया और नकले नहीं दी गई। सरपंच व ग्राम सेवक ने प्रार्थी के मामले को पंचायत की मीटिंग विचारार्थ नहीं रखा व बिना पचों की राय के मनमाने रूप से कार्यवाही में दर्ज किया है जो कि न्याय के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है। अतः निगरानी पेश कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार कीजाकर के ग्राम पंचायत नुआं का प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 20.9.2013 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्वान वकील गैर निगरानीकार नं. 2 ने बताया कि ग्राम पंचायत, नुआं द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। निगरानीकार के मकानात के दक्षिण में एक रास्ता उसके आवागमन के लिए मौजूद है जिससे आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो रही है। दक्षिणी रास्ते में अन्य निवासियों के मकान के दरवाजे खुलते हैं । निगरानीकार ने दक्षिण के रास्ते को दीवार बनाकर बंद कर लिया है। भूमि का पट्टा नियम विरूद्ध गैर कानूनी रूप से पार्टीबाजी के आधार पर सरपंच से साज करके प्राप्त किया है। इस रास्ते के बिन्दू को लेकर प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। निगरानीकार ने रास्ते के बिन्दू को लेकर सिविल न्यायाधीश (क० ख०) झुंझुनू ने एक दावा प्रसतुत कर रखा है जिसमें सिविल न्यायालय में निगरानीकार के पक्ष में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया किया गया था जिसकी अपील न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2 में करने पर न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.4.2014 द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क०ख०) झुंझुनू के आदेश दिनांक 28.7.2012 को निरस्त किया गया है। अतः प्रकरण सिविल न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमाई जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में यह निगरानीकार द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 21.8.2012 के विरूद्ध न्यायालय हाजा में निगरानी प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 29.11.2012 द्वारा प्रकरण ग्राम पंचायत नुआं को पक्षकारान के मध्य रास्ते के विवाद को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली रिमाण्ड की गई थी। ग्राम पंचायत नुआं ने अपने प्रस्ताव संख्या–1

प्रमाणित प्रतिलिपि

रीडर

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

दिनांक 20.9.2013 के द्वारा अपने आदेश दिनांक 21.8.2012 को बहाल रखा है। हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि का पट्टा जारी करने से वादग्रस्त भूखण्ड के उत्तर और दक्षिण दिशा में दर्शाये गये रास्ते के संबंध में विवाद है। जहांतक निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत इस निगरानी का गुणावगुण के आधार पर निर्णय किये जाने का प्रश्न है–स्वयं निगरानीकार ने इसी विषय वस्तु रास्ते को लेकर न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) झुंझुनू के न्यायालय में सिविल वाद दायर कर रखा है। निगरानीकार ने अपनी निगरानी में सिविल न्यायाधीश (क0ख).झुंझुनू द्वारा उक्त प्रकरण में निगरानीकार के पक्ष में उत्तर दिशा में रास्ता मानकर स्थगन आदेश जारी करने का कथन किया गया है, जबकि प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नंबर–2 ने न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2 झुंझुनू द्वारा पारित आदेश एवं आदेशिकाओं की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिनके अनुसार न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश संख्या–2, झुंझुनू द्वारा सिविल न्यायाधीश (क0ख0) झुंझुनू के उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश की अपील होने पर अपने आदेश दिनांक 11.4.2014 द्वारा सिविल न्यायाधीश (क0ख0) झुंझुनू के आदेश दिनांक 28.7.2012 को अपास्त किया गया है। इन सब तथ्यों से यह साबित है कि यह प्रकरण वर्तमान में सिविल न्यायालय में भी विचाराधीन चल रहा है जहां निगरानीकार स्वयं गया है। प्रकरण ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टेसुदा भूखण्ड का न होकर उक्त पट्टेसुदा भू–खण्ड के बाहर रास्ते के संबंध में उत्पन्न विवाद को लेकर है जहां सिविल न्यायालय में बाद साक्ष्य प्रकरण का निस्तारण होना है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये बिना गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी खारिज की जाती है। मिसल ग्राम पंचायत नूआं निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

निर्णय आज दिनांक 16.5.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। हो।

(मुन्नीराम बागडिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू

प्रमाणित प्रतिलिपि

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं